न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजङ् जिला–बडवानी (म०प्र०)

आप.प्रक.कमांक 34/2016 संस्थित दिनांक-14.01.2016

म.प्र. राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बडवानी

वि रू द्व

निलेश पिता निर्मल बोरकर मराठा, उम्र 38 वर्ष,निवासी-राजपुर रोड,मकान नं0 151 अंजड,थाना अंजड,जिला–बडवानी म०प्र

<u> –अभियुक्त</u>

राज्य तर्फे एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी ।

अभियुक्त तर्फे अभिभाषक – श्री विशाल कर्मा ।

--: निर्णय:-

(आज दिनांक 28.02.2018 को घोषित)

- अभियुक्त के द्वारा दिनांक 27.12.2015 को समय 19:00 बजे स्थान– ए.बी. रोड बायपास बरूफाटक में वाहन मारूति वेन क्रमांक एम0पी0 09 बी0ए0 0991 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर प्यारसिंह पिता रामु को चलाकर प्यारसिंह का जीवन संकटापन होना संभाव्य बनाकर टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यू कारित की जो कि, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।
- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.12.2015 को समय 19:00 बजे स्थान ए.बी.रोड बायपास बरूफाटक में वाहन मारूति वेन क्रमांक एम0पी0 09 बी0ए0 0991 के चालक ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर प्यारसिंह पिता राम् भीलाला को टक्कर मार दी थी। जिसके कारण प्यारसिंह भीलाला को सिर में चोटे लगी थी बाद मारूति चालक मारूति लेकर सेंधवा तरफ भाग गया था । घटना के बाद प्यारसिंह को ईलाज के लिये ठीकरी से बडवानी अस्पताल लेकर गये थे। जहां पर ईलाज के दौरान अस्पताल बडवानी में दिनांक 30.12.2015 को मृत्यू हो गयी थी। बाद प्यारसिंह की मृत्यू की सूचना चोकी बडवानी में दी गयी थी। मर्ग सदर की संपूर्ण जांच से प्रथम दृष्या अपराध धारा 304–ए भा.द.सं. का अपराध घटित करना मारूति वेन कुमांक एम0पी0 09 बी०ए० 0991 के चालक द्वारा पाया जाने से प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। फरियादी ने इस घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर करायी गयी। नक्शा मौका बनाया गया। मर्ग जांच की गयी। पी०एम० रिपोर्ट बनायी गयी। जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को धारा 41 क का सचूना पत्र दिया किया गया। साक्षिया के कथन लेखबद्ध किये गये। एवं सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

//2// <u>आप.प्रक.कमांक 34/2016</u> संस्थित दिनांक-14.01.2016

3— उक्त अनुसार अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304—ए का अभियोग पूर्व पीठासीन अधिकारी (श्रीमती वंदना राज पाण्डेय) द्वारा लगाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक लेख किया गय । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी का कथन है कि, वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है, किन्तु बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

4- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.12.2015 को समय 19:00 बजेस्थान—ए.बी. रोड बायपास बरूफाटक में वाहन मारूति वेन क्रमांक एम0पी0 09 बी0ए0 0991 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर प्यारसिंह को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की,जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

विचारणीय पर सकारण निष्कर्ष -

- 5. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में लक्ष्मण (अ.सा.1),जगन (अ. सा.2),अशोक वर्मा (अ.सा.3),आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.4),ललित (अ.सा.5) एवं योगेश शिन्दे (अ.सा.6) के कथन लेखबद्व कराए गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं ।
- सर्व प्रथम यह विचार किया जाना है कि, क्या मृतक की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुयी है। उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी डाँ० आर०एस० मुजाल्दा (अ.सा.४) का कथन है कि वह दिनांक 27.12.2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को हाइवे एम्बुलेंस से एक अज्ञात व्यक्ति को दुर्घटना में घायल होने से उनके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेत् लाया गया था। उस अज्ञात व्यक्ति के दाहिने हाथ पर दिल बना हुआ था तथा पी०एस० लिखा हुआ था, जिस पर टेटू मॉर्क किया हुआ था। आहत् का चिकित्सीय परीक्षण करने पर निम्नानुसार चोटे आई थी:-अ- ठोढी पर कटा-फटा घाव 1 इंच x 1/2 इंच मांस की गइराई तक था,ब— सिर के अग्र भाग में रगड का निशान 1 इंच x 2 इंच थी,स– सिर के दाहिने तरफ रगड 1 इंच X 2 इंच थी,द– सिर के दाये तरफ रगड 1/2 इंच x 1/2 इंच थी,क- दाहिने हाथ में रगड 1 इंच x 1 इंच थी,ख- बाये हाथ में रगड 1 इंच x 1 इंच थी। उक्त सभी चोटे किसी सख्त एवं बोथरी चोटे से आना होकर उसके परीक्षण के 4 घंटे के भीतर की थी तथा चोट कं0 अ,ब की प्रकृति जानने हेत् प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल भेजा था। अन्य चोटे सामान्य प्रकृति की थी। उनके द्वारा दी गयी परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0 4 है,जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

//3// <u>आप.प्रक.कमांक 34/2016</u> संस्थित दिनांक—14.01.2016

- 7. घटना के चक्षुदर्शी साक्षी लक्ष्मण (अ.सा.1) ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि,घटना लगभग 1 वर्ष पूर्व की है। मृतक प्यारिसंह उसका भतीजा था। घ । घटना वाले दिन लक्ष्मण एवं प्यारिसंह बरूफाटक बाजार गये थे। वहां से वापस पैदल आ रहे थे,तभी बघाडी फाटा पर इंदौर की ओर से आ रही मारूति वेन जिसका क्रमांक एम0पी0 09 बी0ए0 0991 के चालक ने तेज गित से वाहन चलाकर प्यारिसंह को टक्कर मार दी थी,जिससे प्यारिसंह को गंभीर चोटे आयी थी। जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने उसे मृतक प्यारिसंह की लाश का पंचनामा बनाने के लिये प्र0पी0 1 का सफीना फार्म जारी किया था,तथा प्र0पी0 2 का लाश का पंचनामा पुलिस ने बनाया था,जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जगन (अ.सा. 2) ने भी अपने कथन में साक्षी लक्ष्मण (अ.सा.1) के कथनों का समर्थन करते हुये यह व्यक्त किया है कि,प्यारिसंह एवं लक्ष्मण (अ.सा.1) पैदल जा रहे थे,तभी पीछे से मारूति वेन के चालक ने तेज गित से वाहन चलाकर प्यारिसंह को टक्कर मार दी थी, जिस कारण प्यारिसंह की मृत्यु हो गयी थी।
- 8. बचाव पक्ष द्वारा भी धारा 294 द0प्र0सं० के अंतर्गत डॉ० पी० गुप्ता के द्व ारा तैयार किया गया शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी० 8 को स्वीकार किया है। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षियों के मृत्यु के कथन को भी प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी हैं।
- 9. अतः प्यारसिंह की मृत्यु के संबंध में साक्षी डाँ० आर०एस० मुजाल्दा (अ. सा.4) व चक्षुदर्शी साक्षी लक्ष्मण (अ.सा.1) व जगन (अ.सा.2) के न्यायालयीन कथनों से व बचाव पक्ष द्वारा शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र०पी० 8 को स्वीकार कर लेने के कारण यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि,मृतक प्यारसिंह की मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरूप हुयी थी।
- 10. अब यह विचार किया जाना है कि,क्या मृतक प्यारिसंह की मृत्यु आरोपी निलेश के द्वारा उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक से वाहन चलाये जाने का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम तर्क के दौरान मुख्य रूप से यह प्रतिरक्षा ली गयी है कि, आरोपी के द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से वाहन चलाकर घटना नहीं कारित की है। आरोपी की पहचान भी संदिग्ध है कि,आरोपी निलेश ही वाहन को चला रहा था। चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा भी आरोपी वाहन चालक की पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। अतः आरोपी के द्वारा घटना कारित नहीं होना बताया है।
- 11. अभियोजन पक्ष के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, आरोपी के द्वारा ही उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाया जा रहा था। साक्षियों के द्वारा स्पष्ट रूप से कथन में यह बताया है कि, आरोपी के द्वारा ही दुर्घटना कारित कर प्यारसिंह की मृत्यु कारित की है। अतः अभियोजन द्वारा यह तर्क किया है कि,अभियोजन आरोपी के विरुद्ध अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।
- 12. उपरोक्त उभय पक्षों के तर्क व साक्ष्य के आधार पर विवेचना की जा रही है। साक्षी लक्ष्मण (अ.सा.1) जो कि, घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, ने अपने मुख्य

आप.प्रक.कमांक 34/2016

संस्थित दिनांक-14.01.2016

परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, मृतक प्यारिसंह उसका भतीजा था। घटना वाले दिन साक्षी स्वंय एवं प्यारिसंह बरूफाटक बाजार गये थे। वहां से वापस पैदल आ रहे थे,तभी बघाडी फाटा पर इंदौर की ओर से आ रही मारूति वेन जिसका क्रमांक एम0पी0 09 बी0ए0 0991 के चालक ने तेज गित से वाहन चलाकर प्यारिसंह को टक्कर मार दी थी,जिससे प्यारिसह को गंभीर चोटे आयी थी। जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। उक्त साक्षी ने वाहन चालक को नहीं देखा था। पुलिस ने उसे मृतक प्यारिसंह की लाश का पंचनामा बनाने के लिये प्र0पी0 1 का सफीना फार्म जारी किया था,तथा प्र0पी0 2 का लाश का पंचनामा पुलिस ने बनाया था,जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी लक्ष्मण (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, ए०बी0 रोड पर सभी गाडियां तेज गित से चलती है।

- 13. साक्षी जगन (अ.सा.२) ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना लगभग 1 वर्ष पूर्व की होना बताया है। दुर्घटना में प्यारसिंह की मृत्यु हो गयी थी। घटना के समय उक्त साक्षी मौके पर ही था। प्यारसिंह व लक्ष्मण (अ.सा.1) पैदल जा रहे थे,तभी पीछे से मारूति वेन के चालक ने तेजी से वाहन चलाकर प्यारसिंह को टक्कर मार दी थी जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। उक्त साक्षी ने गाडी का क्रमांक नहीं देखा था। साक्षी ने वाहन चालक को भी नहीं देखा था। उक्त साक्षी जगन (अ.सा.२) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, वह घटना घटित होने के लगभग 10 मिनिट बाद घटना स्थल पर पहुंचा था,व यह भी स्वीकार किया है कि, घटना घटित करने वाले वाहन की गित नहीं देख पाया था।
- 14. साक्षी अशोक वर्मा (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि, उसके द्वारा वाहन की मेकेनिकल जांच की गयी है। साक्षी की रितुराज मोटर गैरेज के नाम से ए०बी० रोड ठीकरी पर चार व दो पिहया वाहन का गैरेज है। साक्षी द्वारा दिनांक 27.12.2015 को पुलिस थाना ठीकरी के अपराध कं० 09/2016 में जप्तशुदा मारूति वेन कमांक एम०पी० 09 बी०ए० 0991 का यांत्रिकीय परीक्षण किया किया था। उसके द्वारा मारूति वेन का परीक्षण करने पर उसमें कोई भी यांत्रिकीय त्रुटि नहीं पायी थी। उसके सभी पुर्जे चालू अवस्था में थे। उसके द्वारा दी गयी परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी अशोक वर्मा (अ.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि,पुलिस के द्वारा उसे उक्त वाहन का यांत्रिकीय परीक्षण करने के संबंध में कोई भी लिखित में सूचना नहीं दी थी। यह भी स्वीकार किया है कि,थाने पर ही लिखा पढी की थी। उक्त साक्षी को दुर्घटना ग्रस्त वाहनों के परीक्षण किये जाने के संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिकृत नहीं किया है।
- 15. साक्षी लिलत (अ.सा.5) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि, वह आरोपी को जानता हैं। उसके पास वर्ष 2016 में मारूति वेन कं0 एम0पी0 09 बी0ए0 0991 थी। साक्षी को थाने से सूचना प्राप्त हुयी थी कि, वाहन को थाने पर लेकर आना है,तब उसने अपना उक्त वाहन पुलिस थाना ठीकरी पर लेकर गया था। पुलिस ने उससे उक्त वाहन मय कागजों के जप्त किया था। जप्ती पंचनामा प्र0पी0 5 का बनाया था,जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसे वाहन दुध्ितना के संबंध में सूचना पत्र दिया था जिसका साक्षी ने अपने हस्तिलखित में जवाब

<u>आप.प्रक.कमांक 34 / 2016</u> संस्थित दिनांक—14.01.2016

दिया था, जो प्र0पी0 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। घटना वाले दिन आरोपी निलेश उससे मारूति वेन मांग कर ले गया था, किन्तु घटना के समय कौन चालक था, उसे नहीं मालूम। इसी प्रक्रम पर अभियोजन द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों की अनुमित चाही है। जिसे न्यायालय द्वारा विचार उपरांत प्रदान की गयी। अभियोजन द्वारा प्रश्न पूछने पर साक्षी लिलत (अ.सा.5) ने स्वीकार किया है कि, आरोपी निलेश का ड्रायविंग लाईसेंस उसके पास नहीं रहता है। यह भी स्वीकार किया है कि, उसने पुलिस को प्र0पी0 6 के सूचनापत्र के जवाब में बी से बी भाग पर यह इबारत लिखकर दी थी" इस दिनांक 27.12.2015 को मित्र निलेश बोरकर अंजड का है जो मेरी गाडी मांग कर ले गया था"।

- 16. साक्षी लिलत (अ.सा.5) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि,दिनांक 27.12.2015 को निलेश मुझसे वाहन 6:00 बजे मांगकर ले गया था और शाम को 4:00 बजे वापस दे गया था। यह भी स्वीकार किया है कि, पुलिस ने उसे फोन लगाकर थाने पर बुलाया था,तब वह गाडी लेकर गया था। यह भी स्वीकार किया है कि, प्र0पी0 5 एवं प्र0पी0 6 पर हस्ताक्षर उसने पुलिस थाना ठीकरी पर एक ही दिन किये थे। उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया है कि, पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में उससे कोई पूछताछ नहीं की थी, व पुलिस ने प्र0पी0 6 पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे,तब उक्त सूचना पत्र पर कुछ नहीं लिखा था।
- 17. साक्षी योगेश शिन्दे (अ.सा.६) जो अनुसंधानकर्ता है। उक्त साक्षी का यह कहना है कि, वह दिनांक 07.01.2016 को पुलिस थाना ठीकरी पर प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाने के मर्ग कं0 05/16 की मर्ग डायरी उसे जांच हेतु प्राप्त हुयी थी। मर्ग जांच के दौरान उसके द्वारा साक्षी लक्ष्मण (अ.सा.1) व जगन (अ.सा. 2) के कथन लेखबद्ध किये थे,तथा उनके कथनों के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की गयी थी,जो प्र0पी0 7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा घटना स्थल का नक्शामौका प्र0पी0 8 का बनाया था,जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन एम0पी0 09 बी०ए० 0991 के मालिक लिलत पिता माउजी को धारा 133 का सूचना पत्र देकर घटना के समय वाहन चालक की जानकारी मांगी थी,जो प्र0पी0 6 है,जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी निलेश के पेश करने पर उसके द्वारा वाहन कं0 एम0पी0 09 बी०ए० 0991 की बीमा पॉलिसी एवं आरोपी निलेश का ड्रायविंग लाईसेंस जप्त किया गया था,जो प्र0पी0 5 है, जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है।
- 18. साक्षी योगेश शिन्दे(अ.सा.6) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि,घटना के लगभग 4 दिन पश्चात् उसके द्वारा प्र0सूचना प्रतिवेदन प्र0पी0 7 लेखबद्ध की गयी थी,स्वतः कहा कि, मर्ग जांच प्राप्त होने पर जांच कथन के पश्चात् लेखबद्ध की गयी थी। यह भी स्वीकार किया है कि, उसके द्वारा साक्षीगण से वाहन की शिनाख्ती नहीं करायी थी,व वाहन चालक की पहचान भी साक्षियों से नहीं करवायी थी।
- 19. योगेश शिन्दे (अ.सा.६) अनुसंधानकर्ता है जिनके द्वारा अनुसंधान के दौरान की गयी कार्यवाही संबंधी साक्ष्य दी गयी है,जो कि, औपचारिक स्वरूप की है। उक्त

साक्षी ने भी बचाव पक्ष के यह तर्क को स्वीकार किया है कि, उसके द्वारा साक्षीगण से वाहन शिनाख्ती नहीं करवायी थी, व वाहन चालक की पहचान भी नहीं करवायी थी। अतः आरोपी के द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाकर मृतक प्यारसिंह की मृत्यू

कारित करने के संबंध में उक्त साक्षी के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है।

20. उक्त वाहन आरोपी के द्वारा ही चलाया जा रहा था,के संबंध में साक्षी लक्ष्मण (अ.सा.1) ने यह कथन किया है कि,मारूति वेन क्रमांक एम0पी0 09 बी0ए0 0991 के चालक ने तेज गित से वाहन चलाकर प्यारिसंह को टक्कर मार दी थी,िकन्तु साक्षी द्वारा वाहन के चालक को नहीं देखा था। साक्षी जगन (अ.सा.2) ने भी यह कथन किया है कि, उसने वाहन के चालक को नहीं देखा था। उसके द्वारा यह भी व्यक्त किया है कि, उसने गाडी का क्रमांक नहीं देखा था। साक्षी जगन (अ.सा.2) ने मुख्य परीक्षण यह बात बतायी थी कि, वह घटना के समय मौके पर ही था। इसके विपरित उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस तर्क को स्वीकार किया है कि, घटना घटित होने के लगभग 10 मिनिट बाद घटना स्थल पर पहुंचा था। जिससे उक्त साक्षी के कथन भी संदेहास्पद हो जाते है। उक्त दोनो चक्षुदर्शी साक्षियों ने भी आरोपी के द्वारा वाहन चलाये जाने के संबंध में साक्ष्य नहीं दी है,व अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया

- 21. साक्षी लित (अ.सा.5) ने भी यह बचाव पक्ष के तर्क को स्वीकार किया है कि, दिनांक 27.12.2015 को निलेश उससे वाहन सुबह 6:00 बजे मांग कर ले गया था और शाम 4:00 बजे वाहन वापस दे गया था। घटना प्रथम सूचना प्रतिवेदन से शाम 7 से 7:30 बजे के मध्य होना दर्शित है। साक्षी के द्वारा दिये गये इस कथन से भी स्पष्ट दर्शित होता है कि, घटना के पूर्व ही वाहन आरोपी निलेश के द्वारा साक्षी लितत को दिया जा चुका था। इस कारण भी अभियोजन कहानी शंकास्पद हो जाती है। तर्क की दृष्टि से यह मान भी लिया जाये कि,आरोपी के द्वारा वाहन चलाया जा रहा था, तो भी चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा घटना प्रमाणित नहीं किये जाने के कारण साक्षी लितत (अ.सा.5) की साक्ष्य सारहीन है।
- 22. इस प्रकार चक्षुदर्शी साक्षी लक्ष्मण (अ.सा.1),जगन (अ.सा.2), ने आरोपी को पहचाने जाने संबंधी साक्ष्य नहीं दी है व उक्त साक्षीगण द्वारा व अन्य साक्षियों ने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है,अतः उक्त साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट है कि, मृतक प्यारसिंह की मृत्यु आरोपी निलेश के द्वारा उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक से वाहन चलाये जाने का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरूद्ध कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है,और उसे उक्त अपराध या किसी अन्य अपराध के लिये दोषसिद्ध भी नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में न्यायदुष्टांत जवाहरलाल विरूद्ध म०प्र० राज्य 238 एम०पी० विकली नोट्स 1994—(II) तथा न्यायदृष्टांत राम दयाल विरूद्ध म०प्र० राज्य 1993 एम०पी०एल०जे० अवलोकनीय है। उक्त न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, यदि वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है,तब दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती है।
- 23. उपरोक्त समग्र विवेचना व उभय पक्षों के तर्क से यह प्रमाणित नहीं होता

<u>आप.प्रक.कमांक 34 / 2016</u> संस्थित दिनांक—14.01.2016

है कि, आरोपी निलेश ने दिनांक 27.12.2015 को समय 7:00 बजे स्थान ए०बी०रोड बायपास बरूफाटक में वाहन मारूति वेन क्रमांक एम०पी० 09 बी०ए० 0991 को उपेक्षा पूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर प्यारसिंह को टक्कर मार कर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

- 24. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक् में आरोपी के विरूद्ध निर्णय के चरण कं0 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतएव् आरोपी को धारा 304-ए भा0द0सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 25. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 26. आरोपी के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द0प्र0सं0 की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 27. जप्तशुदा सम्पित्त वाहन मारूति वेन कं0 एम.पी.09 बी०ए० / 0991 पूर्व से पंजीकृत स्वामी लिलत कुमार के सुपुर्दगी पर है उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अविध पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही / – (शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म.प्र.

सही / –
(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बडवानी म.प्र.